



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 284 राँची, शुक्रवार,

19 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-16/2018 का. 1795--श्री रविरंजन कुमार विक्रम, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध लंबित RC Case No. 04(A)/2010-AHD-R-(C) में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप देय तिथि को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि, संयुक्त सचिव कोटि एवं अपर सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. श्री विक्रम के द्वारा RC Case No. 04(A)/2010-AHD-R-(C) के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cr.MP 163/2013 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक-19.08.2020 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

Having heard rival submissions made at the Bar and after going through the evidence in the records, it is crystal clear that it is not disputed that the co-accused of this petitioner namely Mrs. Menon Ekka was residing in the official residence of her husband- Enos Ekka within the local limit of jurisdiction of Doranda Police Station. Merely because the information furnished in the check list

forwarded by the petitioner, it was mentioned that the co-accused Mrs. Menon Ekka is not having any land within the jurisdiction of Doranda Police Station, that does not necessarily mean that Mrs. Menon Ekka was not a resident of local limits of the jurisdiction of Doranda Police Station, more so, when the said co-accused Mrs. Menon Ekka undisputedly submitted an affidavit, which was annexed with the check list, forwarded by the petitioner in the capacity of Circle Officer, wherein she has categorically stated that she is a resident within the area of Doranda Police Station. So in the absence of any material to show that the petitioner was having knowledge that the co-accused purchaser Mrs. Menon Ekka was not the resident with the area of Doranda Police Station its cannot be said that he has committed any offence punishable in law. Thus this Court is of the considered view that the allegation against the petitioner are at best on similar footing as the allegations made against the co-accused Circle Officers, Ram Kumar Mandal and Asif Ekram. As the same order taking cognizance, as against the petitioner has already been quashed and the SLP have been dismissed by Hon'ble Supreme Court of India, so far it relates to the co-accused Circle Officers, Ram Kumar Mandal and Asif Ekram, hence the portion of the impugned order dated 11.12.2012 passed by learned Special Judge CBI at Ranchi in connection with R.C. case no. 04 (A) / 2010 -AHD-R-(C) by which, the cognizance has been taken against this petitioner namely Ravi Ranjan Kumar Vikram is not sustainable in law, hence, the same is quashed and set aside. In view of observation made by the Hon'ble Supreme court of India in the Special Leave to Appeal (Cr.) No. 9452 of 2016 dated 1.9.2017 the departmental action may be initiated against the petitioner.

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 2197(HRMS) दिनांक 24.02.2022 के द्वारा श्री विक्रम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें विभागीय संकल्प संख्या 17972(HRMS) दिनांक 10.11.2022 के द्वारा श्री विक्रम को आरोप मुक्त किया गया है ।

4. उल्लेखनीय है कि श्री विक्रम को विभागीय अधिसूचना संख्या 6085 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में तथा अधिसूचना संख्या 7496 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

5. श्री रविरंजन कुमार विक्रम (कोटि क्रमांक 696/03) अनुसूचित जाति कोटि के पदाधिकारी है एवं इस कोटि में इनसे कनीय श्री राकेश रौशन (कोटि क्रमांक 698/03) को अधिसूचना संख्या 7742 दिनांक 26.08.2013 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि, अधिसूचना ज्ञापांक 5647 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में एवं अधिसूचना ज्ञापांक 4776 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

6. उल्लेखनीय है कि सम्प्रति श्री विक्रम वर्ष 2021 के रिक्ति के विरुद्ध राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हैं।

7. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री रविरंजन कुमार विक्रम (कोटि क्रमांक 696/03) को विभागीय संकल्प संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 एवं विभागीय परिपत्र संख्या 4709 दिनांक 13.08.2008 के प्रावधान के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में उनसे कनीय श्री राकेश रौशन (कोटि क्रमांक 698/03) को विभिन्न कोटियों में प्रदत्त प्रोन्नतियों के भूतलक्षी प्रभाव से स्तम्भ- iv में अंकित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कोटि	वेतनमान	तिथि
i	ii	ii	iv
1	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39,100- ग्रेड-पे 7600/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-12	26.08.2013
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37,400- 67,000- ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13	27.07.2018
3	अपर सचिव कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37,400- 67,000- ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13	29.07.2022

8. श्री विक्रम को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 6085 दिनांक 28.09.2021 एवं संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 7496 दिनांक 30.11.2022 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव।
